रैली पर प्रतिबन्ध

4211. **श्री बीरेन जे. शाह :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 25 फरवरी, 1993 को दिल्ली में एक आम रैली पर प्रतिबन्ध लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस प्रतिबन्ध को लागू करने के लिये दिल्ली राज्य में बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो 25 फरवरी, 1993 को कुल कितनी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उस दिन तैनात पुलिस बलों ने उक्त रैली को रोकने के लिये कार्यवाही की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो 25 फरवरी, 1993 को इस कार्यवाही के अन्तर्गत दिल्ली में कितने स्थानों पर अश्रु गैस के गोले, लाठी चार्ज तथा पानी की फुहार का उपयोग किया गया और इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति घायल हुए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (घ) भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली के बोट क्लब मैदान पर दिनांक 25 फरवरी, 1993 को एक रैली आयोजित करने का आह्वान किया था । देश में तथा राष्ट्रीय राजधानी में व्याप्त नाजुक साम्प्रदायिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा समुदायों के बीच साम्प्रदायिक अविश्वास की दृढ़ अन्तर्धारा को देखते हुए भी, जबकि एक छोटी सी घटना भी गंभीर झगड़े का रूप ले सकती थी, सरकार नई दिल्ली में ऐसी रैली आयोजित किये जाने के पक्ष में नहीं थी। दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने इस बारे में दिनांक 18 फरवरी, 1993 को निषेधाज्ञा जारी कर दी थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पूर्व अनुमति के बिना 60 दिन तक के लिये किसी आम सभा अथवा रैली को आयोजित करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । 25 फरवरी, 1993 को दिल्ली पुलिस के साथ-साथ बाहरी बलों की 154 कम्पनियां तैनात की गयी थी।

(ङ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि बिट्ठल भाई पटेल भवन के पास गैर कानूनी रूप से एकत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिये बाटर कैनन और अश्रु गैस का प्रयोग किया गया तथा हल्का लाठी चार्ज किया गया । 5 अन्य स्थानों पर भी गैर कानूनी रूप से एकत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिये अश्रु गैस छोड़ी गयी और हल्का लाठी चार्ज किया गया। पुलिस द्वारा किये गये बल प्रयोग के परिणामस्वरूप 37 व्यक्ति घायल हो गये। भीड़ के हिंसक रूप ले लेने से 7 पुलिस कर्मी भी घायल हो गये।

Complaints against BSF Officers working on Deputation in Punjab

4212. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of S.P. and above level officers posted in police training centres in Punjab, who have been on deputation from B.S.F. and have completed their normal period of deputation;

(b) whether the State Government of Punjab have received complaints of corruption and arbitrary practices adopted by these officers;

(c) whether the Union Government have sought any report about the conduct of these officers and the action thereon; and